भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1989

दिनांक 06.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

धोखाधड़ी के माध्यम से डबल पासपोर्ट

1989. **श्री रामभुआल निषादः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ लोग धोखाधड़ी करके एक से अधिक पासपोर्ट प्राप्त कर रहे हैं जो देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(ग) पिछले चार महीनों के दौरान विदेशी मंत्री और क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, लखनऊ को संसद सदस्यों द्वारा कितनी शिकायतें भेजी गई हैं/ प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री कीर्ति वर्धन सिंह)

(क) एवं (ख) विधि के अनुसार, आवेदक द्वारा प्रस्तुत पहचान और पते के प्रमाण संबंधी दस्तावेजों तथा पासपोर्ट जारी करने से पहले या बाद में पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर आवेदक की पहचान, जिसमें नाम, पता और नागरिकता शामिल है, की पुष्टि करने के बाद भारतीय नागरिकों को पासपोर्ट जारी किया जाता है। जब भी संदिग्ध विदेशी नागरिकों द्वारा भारतीय पासपोर्ट प्राप्त करने या फर्जी पहचान वाले लोगों द्वारा पासपोर्ट प्राप्त करने या एक से अधिक पासपोर्ट प्राप्त करने से संबंधित मामले सामने आते हैं, तो पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत पासपोर्ट रद्द करने और आपराधिक कार्यवाही शुरू करने जैसी उपयुक्त कार्रवाई तत्काल की जाती हैं।

(ग) विगत चार महीनों के दौरान, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ), लखनऊ को संसद सदस्य की एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे इस मामले की जांच करने तथा जांच के परिणाम से आरपीओ को अवगत कराएँ।

*****